शि०सं० प्र०1226/17

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना–17

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव,
सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
हाजीहरमैन रोड फुलवारीशरीफ, पटना ।

पटना, दिनांक 03-07-2017

विषयः डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु संबद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भुवनेश्वर उड़ीसा के पत्रांक ERC/APP2684/D.El.Ed./Addl Course/2016 [illegible] 02.05.2016 के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण निर्गमन, संबद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण निर्गमन संबद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

शर्तें:

1. नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय।
2. संकाय सदस्यों के बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध किया जाय।
3. सभी कक्षों का नामकरण देवनागरी लिपि में भी किया जाय।
4. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेसन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा;
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों / विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी.
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन [illegible] उपलब्ध कराया जाएगा;
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय / वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उनके [illegible] निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी.
8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा [illegible] जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जायेगी.

9. संस्थान के विरूद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद / शिकायत प्राप्त होने पर आरोप प्रमाणित होने पर संबद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी.

10. प्रति वर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण- पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण--पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है.

11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी.

12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायगा.

13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संबद्धन की शर्तो का उल्लंघन समझा जाएगा.

14. संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं रखने होंगे.

15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेवसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जायेगी एवं ऐसा नहीं किया जाना संबद्धन की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।

16. यदि किसी संस्थान को पूर्व / वर्तमान से संचालित बी0एड0 कोर्स की मान्यता/संबद्धता समाप्त की जाती है तो डी0एल0एड0 कोर्स की संबद्धता स्वतः समाप्त हो जायगी।

अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु संबद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

3/7/17